प्रेस विज्ञप्ति
22.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) घी मिलावट मामले के संबंध में कैलाश चंद मंगला को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 17.09.2026 को गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी द्वारा जांच तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें टीटीडी को मिलावटी घी की धोखाधड़ीपूर्ण आपूर्ति के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

ईडी की जांच से पता चला कि कथित रूप से रिफाइंड पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल, पामोलीन तथा एमजी-90, मोनोग्लिसराइड्स, मायवेसिट सॉफ्ट 400 और एसिटिक एसिड एस्टर सहित विभिन्न रसायनों का उपयोग करके मिलावटी घी का निर्माण किया गया और बाद में इसे टीटीडी को आपूर्ति हेतु एगमार्क स्पेशल ग्रेड गाय के घी के रूप में आपूर्ति किया गया। वर्ष 2019–2024 की अवधि के दौरान टीटीडी को की गई घी की कथित धोखाधड़ीपूर्ण आपूर्ति का मूल्य लगभग ₹230 करोड़ था, जिसमें से लगभग ₹96 करोड़ मूल्य का मिलावटी घी कैलाश चंद मंगला द्वारा निर्मित किया गया था।

मेसर्स सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कैलाश चंद मंगला इस मामले में सह-षड्यंत्रकारियों में से एक है और उसने मिलावटकारी पदार्थों की खरीद में सहायता की तथा अपने कारखाना परिसर में मिलावटी घी का निर्माण किया। उसने मेसर्स श्री वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स ए.आर. डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न फ्रंट संस्थाओं के माध्यम से मिलावटी घी की आपूर्ति का समन्वय भी किया।

जांच में आगे यह भी सामने आया है कि कैलाश चंद मंगला ने घी और रिफाइंड पाम ऑयल की बिक्री एवं खरीद से संबंधित फर्जी अभिलेख तैयार किए और उनका रखरखाव किया, जिसका उद्देश्य मिलावटकारी पदार्थों के वास्तविक उपयोग को छिपाना तथा वास्तविक गाय के घी के वैध उत्पादन एवं आपूर्ति का आभास उत्पन्न करना था।

इससे पूर्व, ईडी ने मामले की जारी जांच के क्रम में मेसर्स भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर एवं निदेशक विपिन जैन को गिरफ्तार किया था, जिस पर टीटीडी को मिलावटी घी के निर्माण एवं धोखाधड़ीपूर्ण आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया की साजिश रचने का आरोप है।

आगे की जांच जारी है।

***